


झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 56(6)ब, दि०- 27.05.15 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत कुल 150 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की योजनाएँ स्वीकृत की गई थी ।


2. उक्त स्वीकृत्यादेश की परिशिष्ट- 3 के क्रमांक- 7 में खूँटी जिला के अधीन उल्लेखित तोरपा प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नाम में "विरया" के बदले "तोरपा" प्रखण्ड अन्तर्गत "मानहातु" की स्वीकृति दी जाती है ।
3. उक्त स्वीकृत्यादेश का शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।
4. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।


(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या: 06/पी० (नई यो०)- 29/16- 174(6)ब / स्वा०, रांची, दिनांक: 18.12.17
प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/भवन निर्माण विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

174(6)ब
18.12.17


(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।